न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **14 / 2024** दायर दिनाँक **24.07.2024**

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. चूनाराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी खाखोली तह. मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन , राजस्थान।	बनाम	1. कानाराम पुत्र रामूराम 2. खेमाराम पुत्र रामूराम 3. गणपतराम पुत्र रामूराम 4. गिरधारी पुत्र रामूराम 5. पीथाराम पुत्र रामूराम 6. मोहनराम पुत्र रामूराम 7. सोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल समस्त जाति जाट निवासी खाखोली तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राज 8. ग्राम पंचायत खाखोली तह. मौलासर 9. तहसीलदार मौलासर

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील प्रार्थी।
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **08.04.2025**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 848 रकबा 2.5200 हैक्टे0 मौजा खाखोली, पटवार हल्का खाखोली, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र नूंवा, तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राज. में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है। उक्त खेत खसरा नम्बर 848 में वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। उक्त खेत का रास्ता खसरा संख्या 842 रकबा 3.8500 है. में से उत्तरी सींव के पास–पास गाडी रास्ता के रूप में बढेरों के समय से काम लेते रहे है। जिसकी चौडाई 24 फिट एवं लम्बाई 600 फिट है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते [illegible] लेना चाहते है।

प्रकरण में तहसीलदार मौलासर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक राजस्व/2024/[illegible] दिनांक 05.12.2024 के [illegible] आवेदक के खेत खसरा सं0 848 के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को रास्ते की आवश्यकता है। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 842 के मार्क ए से बी स्थान पर मौजूद रास्ते से आवागमन किया जा रहा है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

जिसकी वर्तमान में मौके पर औसत चौडाई 6 मीटर तथा लम्बाई 163 मीटर है। मौजूद रास्ता जो मौका रिपोर्ट में ए से बी दर्शाया है। निकटतम दूरी का रास्ता है। वादी द्वारा वर्तमान रास्ते की चौडाई 24 फिट (7.32 मीटर) के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। जिससे रास्ते की भूमि का क्षैत्रफल 163 मीटर X 7.32 मीटर = 1193 वर्ग मीटर बनता है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता महेन्द्रसिंह खिलेरी ने से मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिसे अस्वीकार किया गया। शेष अप्रार्थीगण 3 ता 9 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित। एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मौलासर की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थीगण के खेत खसरा न. 842 की उत्तरी सिंव के मार्क A से B प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार मौलासर की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा सं0 848 रकबा 2.5200 हैक्टे0 मौजा खाखोली में आवागमन हेतु तहसीलदार मोलासर की मौका रिपोर्ट राजस्व/2024/1218 दिनांक 05.12.2024 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 842 वाके सरहद खाखोली में दर्शित मार्क A से B कुल 0.1193 हैक्टे0 रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार मौलासर राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट पत्रांकः राजस्व/2024/1218 दिनांक 05.12.2024 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 08.04.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested